छब्बीस २ सचिवालय

विषय ग़ाचिका कमांक 15864/2015 दीपक उपाध्याय विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

> पंजी कमांक 5351/2015 दिनांक 19.11.2015 परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/- परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 15034 / 15 दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09. 2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित कर लेख किया गया है कि याचिका में विभाग में पदस्थ आरक्षक जिनके विरूद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.8.2015 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09 2015 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक आदेश दिनांक 12. 8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये है। याचिका क्रमांक 143345 / 15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 8.09.2015 के परीक्षण उपरांत संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिभाषक द्वारा आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यू पिटीशन द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यू पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 संपूर्ण प्रति एवं शासकीय अभिभाषक विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग कीओर उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति चाही गई है। प्रिक्री प्र

1/c



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

Principal Secretary (Tpt.)

28/11

1299/09/51

orthistis

31 Holl 2016

शाकेमुभो—249—उनिशाकेमुभो—17-7-14—500 800.

याचिका कमांक 15984/2015 दीपक उपाध्याय विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमित बाबत।

--00--

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09 2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

तदुसार आदेशार्थ प्रस्तुत। अ.अ. (BC+ VOQUAT)

25 K)

Transport Comm' par Gort Advocate AT

South Advocate AT

South Advocate AT

Review Pelistion 31AT ACT ST SIJAU FIRM

El

PS (Law)

उक् 🗴 🗓 🗓 ( एस. एन. मिश्रा )

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवान विभाग,

अर्थ की नाम की अर्था की संस्थित नाम का अर्थ की काम की काम की का अर्थ की का अर्थ की का अर्थ की अर्थ की

AA QUIN

हा विभाग

28/11

9037

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: याचिका क्रमांक 15304/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालयः जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध :शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति वाबत।

कृपया पूर्व पृष्ठ पर अंकित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की टीप का अवलोकन करें। जिसमें लेख किया गया है कि नस्ती पर प्रकरण की संक्षेपिका रिब्यू किये जाने के आधार पर उपलब्ध नहीं है। संक्षेपिका सहित प्रकरण उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

अतः प्रकरण के संबंध में संक्षेपिका प्रस्तुत कर परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति

तद्सार आदेशार्थ प्रस्तृत।

अनुमि

प्रमुख सचिव

निकारी शासन, परिवहन विभा मंत्रालय, भोपाल

. 758

का विभाग

प्राप्त करने हेतु नस्ती संक्षेपिका सहित प्रस्तुत है।

व्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग चंत्रालय, भोपाल

50

छब्बीस २ सचिवालय

विषयः याचिका कमांक 15664 / 2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

200 n -00-

स्व ३०० प् वित्य विभाग की शेष के कंबस के अगलक प्रकार के किता का के कार प्राप्त पा प्रकार के प्रकेश के की प्रकार का करी को किसे गांत्र वाकी प्रकार का करी को किसे गांत्र वाकी प्रकार का करी स्वार का प्रकार का का प्रकार का करी

30.30

अपर कीचिप

SA

176

12-01-2016

(3/1/16) Torkin 13-01-2016 मिनिक्स क

D/31/2/1011 13-01-2016



छब्बीस-२ सचिवालय

याचिका क्रमांक 15834/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध विवय : म.प्र. शासन एवं अन्य में मा उच्च न्यायालय जबलप्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

का विभाग

47/4

## पंजी कमांक 796/2016 दिनांक 17.2.2016 परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। 2/- परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 15034 / 15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09. 2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति संलग्न की है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार याचिका कमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के संबंध में शासकीय अभिभाषक विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमित हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे जाने हेत् प्रस्तुत।

15-03-2016

कृषश रिक्ट निकान की अनुमति निकेटिक स्टि

(एस.एन. मिश्र) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्राल 742ोपाल

10 20/80 1 (6/ CONTE.

उनिशाकेम्भो-- 17-7-14-- 5,00,000.

48/C

विधि / तत्काल / ईमेल

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ग्वालियर दिनांक 11-2-16 कमांक 960 /विधि /टीसी / 2016

प्रति,

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म०प्र०

मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग

ф. 796

विषय:-

Principal Secretary [7]

- 1. याचिका कमांक 14345/2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरूद्ध
- 2. याचिका कमांक 14346/2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरूद्ध मध्यप्रंदेश शासन
  - 3. याचिका कमांक 14888/2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश
- 4. याचिका कमांक 15034/2015 श्री दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश
- 5. याचिका कमांक 16293/2015 श्री मनमोहन रघुवंशी

  - 7. याचिका क्रमांक 19058/2015 श्री साहब बहादुर सिंह शासन एवं अन्य में 6. याचिका क्रमांक 17548/2015 श्री मनोज कौल माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर करने हेतु।

श्री पीयूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का संदर्भ:-

विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश, शासन परिवहन विभाग भोपाल का पत्र क. 3932/3992/15/आठ भोपाल दिनांक 18.11.15 के अनुकम में संदर्भित विधिमत की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

रिमे :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक .....


र्पृकमांक 🥦 / विघि / टीसी / 2016 प्रतिलिपि:-

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक

2. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर आपके पत्र क. 4001/उ.प.अ./15

कैम्प छतरपुर दिनांक 29.01.16 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश





MADHYA PRADESH

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR

**JABALPUR** 

Dated

To.

January 18th, 2016

The Divisional Dy. Transport Commissioner, Division Jabalpur, (M.P.).

Sub :-

Opinion with regard to the order dated 24.9.2015 in W.P. No. 16293/2015 and other identical petitions.


Your letter dated 18.01.2016 No. 206/S.U.P.A./2016

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश

> Please referred to your above mentioned letter whereby you have sought opinion with regard to filing of Review Petition in reference to the order passed in the Writ Petition as mentioned in your letter. That I have perused the orders passed in the respective writ petitions wherein the issue raised by the petitioners who were working as Transport Constable and their services were terminated by various impugned orders. That according to the petitioners the order of termination was bad in law since there was an allegation of major misconduct against the petitioner involving moral turpitude and without any show cause or enquiry but order being stigmatic in nature was bad in law. That the Division Bench of this Hon'ble Court after hearing the parties to the petition has held that the order is bad in law since the same has been passed without holding any enquiry and keeping in view the fact that the same is stigmatic and there is an allegation of major misconduct involving moral turpitude.

That after perusing the order passed by the Hon'ble Court and the record of the writ petition in my considered opined the review petitions can be preferred on the following grounds:-

That the petitioner were appointed on Transport Constable and were on probation and thus there was no requirement of



AR 3682 中年7年

#### ः संक्षेपिकाः

विषय: — याचिका कमांक 15**89**4/2015 दीपक उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

--00---

परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। याचिका में विभाग में पदस्थ श्री दीपक उपाध्याय परिवहन आरक्षक जिनके विरूद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश कमांक 3957 / प्रवर्तन / टीसी / 2015 दिनांक 12.8.2015 के द्वारा परिवहन आरक्षक श्री दीपक उपाध्याय को सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 08.09.2015 को आदेश पारित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के सेवापृथक आदेश दिनांक 12.8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये है। याचिका कमांक 143345 / 15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के परीक्षण उपरांत प्रकरण में श्री पियुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर से अभिमत प्राप्त किया गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेत् अभिमत दिया गया है। विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यू पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09. 2015 संपूर्ण प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमित चाही गई है।

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव तथा शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिमत अनुसार विविध याचिका कमांक 15034/15 दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09. 2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पंजीकर 57% 37म

विधि / तत्काल / ईमेल 🐪

# कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

जमांव **5 3 28 / विधि /** टीसी / 2015 प्रति ग्वालियर दिनांक 29 -10 -15

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०

जी के 535/ की की प्राप्त का जी के 19/11/15

ਰਿਚਨ:

याचिका क्रमांक 15034/2015 श्री दीपक उपाच्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.15 के विरूद्ध शासन की ओर

से रिव्यु पिटिशन दायर करने हेंतु अनुमित विषयक। श्री पियुष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक

रू आ।

विषयांकित याचिका विभाग में पदस्थ उन आरक्षक जिनके विरूद्ध व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की व्यव रीक्षा की लंबित एसटीएफ की जाँच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.08.15 के द्वारा नंवा यथक किया गया था, के विरूद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मान. उच्च न्यायालय द्वारा निक 08.09.15 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक आदेश दिनांक 12.08.15 को खारिज (Set aside) करते ये विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका कमांक 14345/15 में मान. उच्च यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 08.09.15 के परीक्षण उपरांत संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिन क द्वारा आदेश के विरूद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने का विधिमत दिया विध्यांकित याचिका समान प्रकार की है। शासकीय अभिभाषक द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुकम में शासन

अतः प्रकरण में विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09. 15 के छत्याप्रति याचिका की संपूर्ण प्रति की छायाप्रति एवं शासकीय अभिभाषक के संदर्भित विधिमत की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन (विभाग) की और से उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यु

चिटिए। डायर करने की अनुमति समयसीमा में प्रदान करने का कष्ट करें।

सलम् - उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक .

मा ह ...../विघि / टीसी / 2015

संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर, आपको उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अति. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से संपंक कर शासन/विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय के समझ शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में दायर करें, तथा रिव्यु पिटिशन की छायाप्रति कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन सहित शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश

ASOD ments don't

e Kil

GOVE

### OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MACHYA PRADESH, JABALPUR

**JABALPUR** 

MADHYA PRADESH

Dated . September 18, 2015

To,

- The Principal Secretary, 1. Govt. of M.P., Law & Legislative Affairs Department, Vindhyachal Bhawan, Bhopal.
- The Principal Secretary, Govt. of M.P., Department of Transport, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.
- The Transport Commissioner, Gwalior. 3.


Opinion in W.P. NO. 14345/15-Anurag Thaku: V/s State of MP & Others. Sub :-

Please find enclosed herewith the copy of order passed by the Hon'ble High Court in the above petition.

In my opinion, it is a fit case to file review.

Encl.:- As above.

DIYUSH DHARMADHIKARI) GOVERNMENT ADVOCATE



# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH



ORDER SHEET

		201
CASE	No	201

DATE OF THE ORDER

#### ORDER

W.P.No. 15034/15 Deepak Upadhyaya vs. State of M.P.

#### 08.09.2015

Shri Amitabh Gupta, Counsel for the petitioner.

Shri Piyush Dharmadhikari, learned G.A.for the respondents/State.

With consent heard finally.

By filing this petition under Art.226 of the Constitution of India, the petitioner has called in question the order (Annexure P-3) dated 12.8,2015.

Briefly stated, the petitioner has been appointed on the post of Constable [Transport Department]. On account of misconduct his services were terminated by the impunged order stating therein that as he is involved in major misconduct, his services cannot be continued.

Learned counsel for the petitioner submits that prior to passing of the impugned order a show cause notice was issued of which reply was filed by the petitioner denying the allegation but without holding any enquiry about the same, the services of the petitioner has been terminated by impugned stigmatic order.

Dharmadhikari, Piyush Government Advocate on the other hand submits